20/6.2.25

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

2025/36

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड नावां जिला डीडवाना कुचामन।

विषयः– राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत् अन्तर्गत राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।

द्वाराः– पटवारी पटवार हल्का इण्डाली

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का इण्डाली राजस्व ग्राम इण्डाली खाता संख्या 216 खसरा संख्या 26, 61 रकबा हेक्टेयर मे 2.82	पेमाराम S/o रेखाराम मेघवाल	पुसाराम S/o रेखाराम मेघवाल प्रार्थी ने विरासत कानामा० दर्ज करवाया तब पेमाराम दर्ज करवाया अब पुसाराम करवाना चाहता है

संलग्न दस्तावेज (सलंग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) –

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र। शपथपत्र प्रार्थी

कुल संलग्नक संख्याः– .....

हस्ताक्षर आवेदक पुसाराम

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंसा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत) :–

भू.अ.निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी
प० इण्डाली
6.2.2025

तहसीलदार की टिप्पणी :–

06.2.2025
तहसीलदार नावां

हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावां जिला डीडवाना कुचामन

क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2025/20 दिनांकः– 06/02/25

आदेश

प्रार्थी पुसाराम निवासी इण्डाली के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार ..... की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार नावां राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
06/02/25

क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ 20 दिनांकः– 06/02/25 SPM Nawan

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार नावां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी इण्डाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक पुसाराम को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
06/02/25

उपखण्ड अधिकारी